

मॉड्यूल - 2

भारतीय संविधान के
मुख्य तत्व



टिप्पणी



317hi09

9

आपातकालीन प्रावधान

आप पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं कि भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है। एक ओर इसमें संघीय व्यवस्था के सभी तत्व मौजूद हैं, तो दूसरी ओर केन्द्र राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है।

भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान हम तनाव और विषमता के दौर से गुजर रहे थे। देश का विभाजन, सांप्रदायिक दंगे, देशी रियासतों (कश्मीर सहित) के विलय की समस्याएं तथा ऐसी अनेक समस्याएं असामान्य स्थिति को जन्म दे रही थीं, जो आशंकाओं से परिपूर्ण थीं। इसलिए संविधान निर्माताओं ने केन्द्र सरकार को उपयुक्त शक्तियां देना उचित समझा, कि संकट काल में जब देश के किसी भाग की सुरक्षा और स्थायित्व को आंतरिक अथवा बाह्य खतरा हो तो ऐसी गंभीर स्थिति का सामना वह प्रभावशाली तरीके से कर सकें। अतः, देश की सुरक्षा, एकता तथा अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत के संविधान में कुछ आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं।



उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप

- यह सिद्ध कर सकेंगे कि केन्द्र सरकार के पास आपातकालीन परिस्थितियों में असाधारण शक्तियों के प्रयोग के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होता;
- उस परिस्थिति को उचित ठहरा सकेंगे, जिसमें राष्ट्रपति, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है;
- यह समझ सकेंगे कि ऐसी प्रत्येक घोषणा को संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होती है;
- यह जान सकेंगे कि आपातकाल की घोषणा की अवधि छः महीने हैं तथा संसद इसे छः महीनों के लिए बढ़ा भी सकती है;
- मौलिक अधिकारों के विशेष संदर्भ में वैधानिक, कार्यपालिका तथा वित्तीय मामलों में राष्ट्रीय आपातकाल के अनेक प्रभावों का वर्णन कर सकेंगे;
- देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणाओं के उदाहरणों, उनकी अवधि, प्रभावों आदि को उद्घृत कर सकेंगे;
- यह जान सकेंगे कि यह देखना संघ सरकार का उत्तरदायित्व है कि राज्यों का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाया जा रहा है;

- उन परिस्थितियों का वर्णन कर सकेंगे, जिनमें राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है;
- कुछ ऐसे राज्यों के उदाहरण दे सकेंगे जहां संविधान की विफलता के कारण ऐसी घोषणाएं की गई थीं;
- आर्थिक संकट काल के प्रभावों का वर्णन कर सकेंगे।

9.1 युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल

जिस दिन से भारत स्वतंत्र हुआ, हमें देश के सामने मौजूद अनेक समस्याओं का सामना करने के लिए युद्ध स्तर पर संघर्ष करना पड़ा। जितना हमने उन्हें हल करने प्रयास किया, उतनी ही वे बढ़ती रहीं। परंतु, एक राष्ट्र के रूप में हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। इसके परिणामस्वरूप, भारत उन्नति के मार्ग पर दृढ़ता से बढ़ता गया। अचानक एक झटका तब लगा जब हमारे एक पड़ोसी देश चीन ने 1962 में हमारी उत्तरी सीमाओं पर आक्रमण करके देश की सुरक्षा को चुनौती दी। केंद्र सरकार ने इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए असाधारण शक्तियों से अपने को लैस कर लिया, क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। देश की सुरक्षा, एकता और स्थायित्व की रक्षा के लिए भारत के राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार की आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं।

9.1.1 राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) की घोषणा

भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का प्रावधान है। ऐसी घोषणा भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। यदि वह संतुष्ट हो जाएं कि स्थिति बहुत विकट है तथा भारत अथवा उसके किसी भाग की सुरक्षा खतरे में है- (क) युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण (ख) देश के अंतर्गत सशस्त्र विद्रोह के कारण यह ध्यान रहे कि राष्ट्रपति यह घोषणा ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से पहले भी कर सकता है। 44 वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति ऐसी संकटकालीन घोषणा केवल मंत्रीमण्डल की लिखित सिफारिश पर ही कर सकता है।

ऐसी संकटकालीन घोषणा की पुष्टि संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक मास के अंदर होना अनिवार्य है, नहीं तो वह घोषणा स्वयं समाप्त हो जाती है। संकटकालीन घोषणा के समय यदि लोकसभा भंग है अथवा उसका अधिवेशन नहीं चल रहा है तो इसकी पुष्टि राज्यसभा द्वारा एक महीने के अंदर होनी होती है तथा बाद में लोकसभा द्वारा अधिवेशन शुरू होने के एक मास के अंदर हो जानी चाहिए।

संसद द्वारा एक बार पुष्टि हो जाने पर आपातकाल का प्रभाव घोषणा की तिथि से छह महीने तक रहता है। यदि इसको छह महीने से आगे बढ़ाना है तो संसद द्वारा दूसरा प्रस्ताव पास किया जाना आवश्यक होता है। इस प्रकार आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी रहता है, परंतु स्थिति में सुधार होने पर राष्ट्रपति द्वारा घोषणा करने से आपातकाल समाप्त हो सकता है।

संविधान के 44वें संशोधन के अनुसार लोकसभा के 10 प्रतिशत या अधिक सदस्य लोकसभा के अधिवेशन की मांग कर सकते हैं तथा उस अधिवेशन में साधारण बहुमत द्वारा आपातकाल को रद्द अथवा समाप्त किया जा सकता है।

हमारे देश में तीन बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपातकालीन घोषणा की गई थी जब चीन ने हमारी उत्तर पूर्व की सीमाओं पर आक्रमण किया था। यह राष्ट्रीय संकट 10 जनवरी 1968 तक जारी रहा, हालांकि तनाव बहुत पहले समाप्त हो गया था।



टिप्पणी

मॉड्यूल - 2

भारतीय संविधान के मुख्य तत्त्व



टिप्पणी



राजनीति विज्ञान

दूसरी बार इसकी घोषणा दूसरे भारत-पाक युद्ध के समय तीन दिसंबर 1971 को की गई तथा यह 21 मार्च 1977 को समाप्त हुई। बाहरी आक्रमण के आधार पर यह आपातकाल चल ही रहा था, परंतु उसी समय 25 जून 1975 को तीसरी आपातकालीन घोषणा कर दी गई। यह घोषणा आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर की गई, जिसको लागू करने का कोई औचित्य नहीं था। सरकार के पास 1971 के दूसरे राष्ट्रीय आपातकाल की शक्तियाँ पहले से ही थीं।

9.1.2 राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव

राष्ट्रीय संकट की घोषणा से व्यक्तियों के अधिकारों व राज्यों की स्वायत्ता पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है, जो इस प्रकार हैं:

- (i) सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि संघीय संविधान का स्वरूप एकात्मक में बदल जाता है। केंद्र की सत्ता में वृद्धि हो जाती है। संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर भी संपूर्ण देश अथवा उसके किसी भाग के लिए कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त हो जाती है।
- (ii) भारत का राष्ट्रपति राज्यों को कार्यपालिका संबंधी शक्ति के प्रयोग के तरीके के बारे में निर्देश दे सकता है।
- (iii) इस आपातकाल के दौरान लोकसभा एक बार में अपने कार्यकाल में एक वर्ष तक की वृद्धि कर सकती है। परंतु घोषणा का प्रभाव समाप्त होने पर छह महीने से अधिक की वृद्धि नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार राज्यों के विधानमण्डलों का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है।
- (iv) आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को केन्द्र व राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे से संबंधित प्रावधानों में फेर बदल करने की शक्ति भी प्राप्त हो जाती है।
- (v) अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आने वाले मौलिक अधिकार, जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, स्वतः स्थगित हो जाते हैं। यह स्थगन आपातकाल की समाप्ति तक जारी रहता है। परंतु 44वें संशोधन के अनुसार केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर ही इन स्वतंत्रताओं को स्थगित किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि संकटकाल में केवल राज्यों की स्वायत्ता ही स्थगित नहीं होती है, बल्कि भारतीय संघीय संरचना भी एकात्मक ढांचे में बदल जाती है। इसे आवश्यक माना जाता है, जिससे केंद्र सरकार को असामान्य स्थितियों का सामना करने के लिए पर्याप्त शक्तियाँ मिल सकें। परंतु 25 जून 1975 को घोषित राष्ट्रीय संकट के समय क्या हुआ? कुछ आलोचकों का कहना है कि इस काल में सत्ता का दुरुपयोग हुआ। लोकतांत्रिक परंपराओं का अतिक्रमण हुआ, विरोधी दलों के नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया, चुनाव टाल दिए गए, लोकसभा की अवधि बढ़ा दी गई तथा प्रेस का गला घोट दिया गया।

सत्ता के इसी दुरुपयोग के परिणामस्वरूप 1977 में जनता सरकार का गठन हुआ, तथा उसने वह संविधान संशोधन विधेयक पास कराया, जिसमें संकटकालीन शक्तियों के मनमाने प्रयोग के विरुद्ध अनेक प्रावधान जोड़े गए हैं।



टिप्पणी



पाठगत प्रश्न 9.1

रिक्त स्थानों को भरिए

- (क) आपातकाल की घोषणा केंद्र सरकार को शक्तियां प्रदान करती है। (अधिक/कम/समान)
- (ख) राष्ट्रीय संकट की घोषणा अनुच्छेद के अंतर्गत की जा सकती है। (325, 232, 352)
- (ग) आपातकाल के दौरान लोकसभा अपनी अवधि, एक बार में तक बढ़ा सकती है।
(एक वर्ष, तीन वर्ष, पाँच वर्ष)
- (घ) कुल प्रकार के आपातकाल होते हैं। (एक, दो, तीन)
- (ङ) 25 जून 1975 को के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा की गई।
(बाह्य आक्रमण, आंतरिक गड़बड़ी, आर्थिक संकट)
- (च) राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट की घोषणा कर सकते हैं यदि
- (अ) प्रधानमंत्री परामर्श दें
 - (ब) मंत्रीमंडल परामर्श दें
 - (स) वह स्वयं संतुष्ट हों।
- (छ) संसद द्वारा पुष्टि हो जाने पर आपातकाल की अवधि तक प्रभावी रहता है। (छ:
मास, एक वर्ष, दो वर्ष)

9.2 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकाल (अनुच्छेद 356)

यह केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य का प्रशासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाया जा रहा है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसी राज्य में आपातकालीन घोषणा जारी कर सकते हैं, यदि वह राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने पर या किसी अन्य प्रकार से संतुष्ट हो जाएं कि वहां ऐसी स्थिति हो गई है, जिसमें राज्य का प्रशासन विधिपूर्वक नहीं चलाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा करके राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता को रोकने का प्रयास किया जाता है। आम बोलचाल में इसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है।

राष्ट्रीय आपातकाल की तरह इस दूसरी प्रकार की आपातकालीन घोषणा को भी संसद के दोनों सदनों के सामने दो महीने के अंदर पुष्टि के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य है। संसद द्वारा पास होने पर घोषणा एक बार में छह माह तक वैध रहती है। इसको अगले छह महीने के लिए और भी बढ़ाया जा सकता है, किंतु इस अवधि को एक वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है यदि (अ) राष्ट्रीय आपातकाल पहले ही जारी हो (ब) चुनाव आयोग प्रमाणित करे कि राज्य विधानमंडल का चुनाव करना संभव नहीं है।

इस प्रकार के आपातकाल को अधिकांश राज्यों में समय-समय पर अनेक बार लागू किया गया है। 1951 में पहली बार पंजाब राज्य में इस प्रकार का अपातकाल लागू किया गया था। 1957 में केरल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। 1977 में पूरे नौ राज्यों में एक साथ राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। यह कदम

मॉड्यूल - 2

भारतीय संविधान के मुख्य तत्त्व



राजनीति विज्ञान

मोरार जी देसाई की जनता पार्टी ने उठाया था। कांग्रेस ने इसकी कड़ी आलोचना की। 1980 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो जिन राज्यों में जनता पार्टी बहुमत में थी वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 1986 में उग्रवाद और आंतरिक विद्रोह के कारण जम्मू व कश्मीर में आपातकालीन घोषणा की गई। कुल मिलाकर एक सौ बार से भी अधिक भिन्न-भिन्न राज्यों में एक अथवा दूसरे कारण से आपातकाल लागू हो चुका है।

9.2.1 राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रभाव

राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण घोषित आपातकाल के निम्नलिखित प्रभाव होते हैं:

- (i) राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी कार्यों अथवा किसी एक कार्य को अपने हाथ में ले सकता है, अथवा उनको राज्यपाल या किसी अन्य कार्यकारी अधिकारी को सौंप सकता है।
- (ii) राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को स्थगित अथवा भंग कर सकता है। वह संसद को राज्य विधानमंडल के स्थान पर कानून निर्माण के लिए प्राधिकृत भी कर सकता है।
- (iii) घोषित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति कोई अन्य आवश्यक प्रावधान भी लागू कर सकता है।

जिस प्रकार अनेक अवसरों पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, उसने अनेक प्रश्नों को जन्म दिया है। कई बार तो यह परिस्थिति की मांग थी। कई अवसरों पर राष्ट्रपति शासन केवल राजनैतिक आधार पर केन्द्र से भिन्न राजनैतिक दल की सरकार को गिराने के लिए लागू किया गया, यद्यपि उस दल का विधान सभा में पूर्ण बहुमत था। विधान सभाओं को स्थगित अथवा भंग करने तथा अन्य राजनैतिक दलों को राज्यों में सरकारों के निर्माण का अवसर न देना केंद्रीय सरकार के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण हुआ है, जिसके लिए अनुच्छेद 356 का स्पष्टतया दुरुपयोग हुआ है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 विवादग्रस्त रहा है। इसका अत्यधिक दुरुपयोग किया गया है। 44 वें संशोधन अधिनियम में दिए गए सुरक्षात्मक उपायों के बावजूद इस प्रावधान का केन्द्र सरकार द्वारा दुरुपयोग किए जाने का अरोप लगाया गया है। इसी कारण, इस अनुच्छेद को संविधान में से हटाने अथवा इसके दुरुपयोग को समाप्त करने के प्रावधान बनाने की मांग सामने आई है। सरकारिया आयोग ने, जिसे केंद्र-राज्य संबंधों का पुनर्निर्धारण करने के लिए नियुक्त किया गया था, अनुच्छेद 356 को अंतिम हथियार के रूप में प्रयोग करने की सिफारिश की है। आयोग के सुझाव के अनुसार, राज्य विधानसभा को उस समय तक भंग न किया जाए, जब तक संसद आपातकाल की घोषणा को स्वीकृत न करे। सरकारिया आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि केन्द्र द्वारा राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपातकाल की घोषणा से पहले वैकल्पिक सरकार निर्माण की सभी संभावनाओं के लिए समुचित प्रयास अत्यंत आवश्यक है।



पाठगत प्रश्न 9.2

रिक्त स्थानों को भरिए

- (क) राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद
..... के अंतर्गत होती है। (352, 356, 360)
- (ख) संसद की स्वीकृति के बिना राज्य में राष्ट्रपति शासन महीने तक जारी रह सकता है। (एक, दो, छह)



टिप्पणी

- (ग) राज्य में राष्ट्रपति शासन को अधिकतम की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
(1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष)
- (घ) राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण संकट की घोषणा के परामर्श पर की जाती है। (मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, राज्यपाल)
- (ङ) राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की स्वीकृति एक संसद बार में के लिए दे सकती है। (तीन महीने, छह महीने, नौ महीने)

9.3 वित्तीय संकट (अनुच्छेद 360)

तीसरे प्रकार का अपातकाल अनुच्छेद 360 में वर्णित वित्तीय संकट कहलाता है। इसके अनुसार यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए कि भारत अथवा इसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। अन्य दो प्रकार के आपातकाल की भाँति, इसको भी लागू होने के दो मास के अंदर संसद की स्वीकृति मिलना आवश्यक है। जब तक स्थिति में सुधार न हो, तब तक संकटकाल जारी रह सकता है तथा इसको बाद में घोषणा द्वारा समाप्त किया जा सकता है।

9.3.1 वित्तीय संकट के प्रभाव

वित्तीय संकट की घोषणा के निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं:

- (क) केन्द्र सरकार किसी भी राज्य को वित्तीय मामलों से संबंधित निर्देश दे सकती है।
 - (ख) राष्ट्रपति राज्य के सरकारी कर्मचारियों के वेतन व भत्तों को कम करने की सिफारिश कर सकता है।
 - (ग) राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित वित्त विधेयकों को संसद में विचार के लिए राष्ट्रपति, राज्य से सुरक्षित रखने के लिए कह सकता है।
 - (घ) राष्ट्रपति केन्द्रीय कर्मचारियों जिनमें उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल हैं, उनके वेतन व भत्ते कम करने का निर्देश दे सकता है।
- सौभाग्य से अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल की स्थिति पैदा नहीं हुई है।



पाठ्यगत प्रश्न 9.3

- (क) अनुच्छेद वित्तीय संकट के प्रावधानों के बारे में है। (352, 356, 360)
- (ख) हमारे देश में वित्तीय संकट लागू नहीं किया गया है। (एक बार, दो बार, कभी भी)
- (ग) वित्तीय संकट एक बार में अवधि के लिए लागू किया जा सकता है। (दो महीने, छः महीने)
- (घ) वित्तीय संकट को लागू होने के के अंदर इसे संसद द्वारा स्वीकृत किया जाना अनिवार्य है। (एक माह, दो माह, तीन माह)

मॉड्यूल - 2

भारतीय संविधान के मुख्य तत्त्व



टिप्पणी

राजनीति विज्ञान

(ङ) वित्तीय संकट में राष्ट्रपति के वेतनों व भत्तों में कटौती के आदेश दे सकता है।
(सरकारी कर्मचारियों, निजी व्यापारी, दोनों श्रेणियों)



आपने क्या सीखा

भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कुछ असामान्य परिस्थितियों में देश की सुरक्षा, अखंडता व स्थायित्व की रक्षा के लिए असाधारण शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके लिए तीन प्रकार के आपातकाल होते हैं, जिनकी घोषणा राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमण्डल के लिखित परामर्श पर कर सकता है। ये तीन प्रकार के संकट इस प्रकार हैं:

(अ) राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)

(ब) राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकाल (अनुच्छेद 356)

(स) वित्तीय संकट (अनुच्छेद 360)

अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल अब तक तीन बार घोषित हो चुका है। चीन द्वारा आक्रमण करने पर 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक, पाकिस्तान द्वारा आक्रमण के कारण 3 दिसम्बर 1971 से 21 मार्च 1977 तक तथा आंतरिक उपद्रव की आशंका के आधार पर केवल एक बार लागू किया गया। इस संकट की घोषणा 25 जून 1975 को की गई थी। संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकाल की घोषणा कभी न कभी प्रायः सभी राज्यों में हो चुकी है। परंतु वित्तीय संकट अभी तक घोषित नहीं हुआ है।

आपातकाल लागू होने के बाद नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। यह राज्य सरकारों की स्वायत्ता को भी प्रभावित करता है। केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ जाती हैं तथा संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। केंद्र राज्य सरकारों को निर्देश जारी करता है। संविधान का संघीय स्वरूप वास्तविक रूप में एकात्मक हो जाता है। यहां तक कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ मौलिक अधिकार भी स्थगित रहते हैं।

अनुच्छेद 356 के अंतर्गत दूसरे प्रकार का आपातकाल सर्वाधिक लागू किया गया है। इसके अंतर्गत कोई भी राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत आ जाता है। यदि वहां के निर्वाचित प्रतिनिधि राज्य की सरकार (संविधान के अनुसार) बनाने या चलाने में असमर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार के संकट का सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ है जिस कारण अनेक लोगों ने इसकी अत्यधिक आलोचना की है। तीसरे प्रकार का आपातकाल वित्तीय संकट है, जो कि अभी तक हमारे देश में घोषित नहीं किया गया है। इस प्रकार के आपातकाल में भारत के राष्ट्रपति केन्द्र व राज्य सरकारों के न्यायाधीशों सहित अपने कर्मचारियों के वेतन व भत्तों में कटौती के आदेश जारी कर सकता है। इस प्रकार के संकट की घोषणा का उद्देश्य वित्तीय कठिनाइयों को हल करना है।

आपातकालीन प्रावधान

मॉड्यूल - 2

भारतीय संविधान के मुख्य तत्त्व



टिप्पणी

प्रत्येक प्रकार के संकट की घोषणा राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमण्डल के लिखित परामर्श पर करता है। ऐसी घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा एक महीने के अंदर स्वीकृत करना अनिवार्य है। यदि यह राष्ट्रीय आपातकाल है, तथा अन्य दो प्रकार के संकटों के लागू करने को यदि संसद दो महीनों के अंदर स्वीकृति दे देती है तो यह घोषणा की तिथि से छह माह तक जारी रहती है। यदि इसे छह माह से आगे बढ़ाना है तो इसके लिए संसद को फिर से प्रस्ताव पास करना होगा। वित्तीय संकट के मामले में एक बार घोषणा होने पर इसको जितने समय तक आवश्यक हो, उतने समय के लिए जारी रखा जा सकता है।

आपातकालीन प्रावधान राष्ट्रपति को असाधारण स्थितियों का सामना करने के लिए विस्तृत शक्तियां प्रदान करते हैं। इन शक्तियों का दुरुपयोग लोकतंत्र को आसानी से पंगु बना सकता है। परंतु गत 57 वर्षों के संविधान की वास्तविक कार्यप्रणाली ने यह दिखा दिया है कि आमतौर पर आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग देश हित में ही हुआ है; केवल कुछ मामलों को छोड़कर, जिनमें राजनैतिक कारणों से आपातकाल की घोषणा लागू की गई। कुछ राज्यों में आपातकालीन प्रावधानों के दुरुपयोग के बावजूद, आम सहमति यह है कि भारत की वर्तमान परिस्थितियों में आपातकालीन प्रावधानों की भूमिका सार्थक है।



पाठान्त्र प्रश्न

- भारत के संविधान में वर्णित आपातकालीन प्रावधानों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए।
- राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नागरिकों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है?
- किन परिस्थितियों में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है?
- राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य सरकार की कार्यकारिणी और वैधानिक शक्तियां किस प्रकार प्रयुक्त होती हैं?
- वित्तीय संकट के प्रभावों का वर्णन कीजिए।



पाठगत प्रश्नों के उत्तर

9.1

(क) अधिक

(ख) 352

(ग) एक वर्ष

(घ) स्वतंत्रता

(ङ) आतंरिक गड़बड़ी

(च) केंद्रीय मंत्रीमण्डल द्वारा लिखित परामर्श

(छ) 6 माह

मॉड्यूल - 2

भारतीय संविधान के मुख्य तत्त्व



राजनीति विज्ञान

9.2

- (क) 356.
- (ख) 2 माह
- (ग) एक वर्ष
- (घ) राज्यपाल
- (ङ) छः महीने

9.3

- (क) 356.
- (ख) कभी भी
- (ग) छः महीने
- (घ) दो माह
- (ङ) सरकारी कर्मचारियों तथा कार्यरत न्यायाधीशों

पाठांत्र प्रश्नों के लिए संकेत

1. खण्ड 9.1, 9.2 और 9.3. देखें
2. राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव खण्ड 9.1.2 देखें
3. खण्ड 9.2. देखें
4. राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रभाव खण्ड 9.2.2. देखें
5. खण्ड 9.3. देखें